राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.26(5)पीएस/निकाशि/80/65

दिनांकः 07-02-19

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित शीघ्रलिपिकों को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 की गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से निजी सहायक के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं0 एल-11 (L-11) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
	वर्ष 2016-17			
1	श्री जगदीश शर्मा	राज0 कन्या महा0, उदयपुर	राज0 कन्या महा0, उदयपुर	01.04.16
	वर्ष 2017-18			
2	श्रीमती प्रीति पुरोहित	राज0 महा0, बीकानेर	राज0 महा0, बीकानेर	01.04.17

उपर्युक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने निजी सहायक पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।

उपर्युक्त कार्मिक दिनांक 20.02.19 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेवें। किसी कार्मिकों का कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.-स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कार्मिकों को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें/संबंधित कार्मिकों द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(एचआरडी),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।